

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 54] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 16, 1978/माघ 27, 1899
No. 54] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 16, 1978/MAGHA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

निर्माण और आवास मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 16 फरवरी, 1978

सा. का. नि. 78(अ).—केंद्रीय सरकार, नगर भूमि (अधिकतम सीमा और
विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों
का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन)
कठिनाइयों का निराकरण आदेश सं. 2 है।
- (2) यह आदेश उन राज्यों को लागू होगा जिनमें इस आदेश के प्रारम्भ पर
नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976
का 33) प्रवृत्त था।

(3) यह आदेश तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. नगर भूमि (अधिकतम सीमा और विनियमन) अधिनियम, 1976 (1976 का 33) की अनुसूची 1 में, आसाम राज्य से सम्बन्धित, क्रम सं. 2 के सामने स्तम्भ (2) में की प्रविष्टियों में गोहाटी नगरपालिका, उद्घाटन और अन्य क्षेत्रों के प्रति निर्देश, गोहाटी नगर निगम अधिनियम, 1971 (1973 का आसाम अधिनियम सं. 1) के उपबन्धों के अधीन गोहाटी नगर निगम के गठन से ठीक पूर्व विद्यमान पहले की गोहाटी नगरपालिका, उद्घाटन और अन्य क्षेत्रों में समाविष्ट क्षेत्र के प्रति निर्देश समझे जाएंगे और गोहाटी नगर बस्ती के क्षेत्र और उसके परिधीय क्षेत्र का अर्थ तदनुसार किया जाएगा ।

[सं० का० 1/1/77-यु०सी०यू०]

के. सी. पाण्डेय, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF WORKS AND HOUSING

ORDER

New Delhi, the 16th February, 1978

G.S.R. 75(E).—In exercise of the powers conferred by Section 47 of the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976), the Central Government hereby makes the following Order, namely :—

1. (1) This Order may be called the Urban Land (Ceiling and Regulation) Removal of Difficulties Order No. 2.
- (2) It applies to the States in which the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976) is in force at the commencement of this Order.
- (3) It shall come into force at once.

2. The reference to Gauhati Municipality, outgrowths and other areas in the entries in Column (2) against Serial No. 2, relating to the State of Assam, in Schedule I to the Urban Land (Ceiling and Regulation) Act, 1976 (33 of 1976) shall be deemed to be a reference to the area comprised in the former Gauhati Municipality, outgrowths and other areas in existence immediately before the constitution of the Gauhati Municipal Corporation under the provisions of the Gauhati Municipal Corporation Act, 1971 (Assam Act I of 1973) and the area of the Gauhati Urban Agglomeration and its peripheral area shall be construed accordingly.

[No. F-1/1/77-UCU]

K. C. PANDEYA, Jt. Secy.